

दिनांक 04.03.2020

प्रमुक्त

मुक्त/प्रो

म.प्र. 1.2

Ch. os/Ruling

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

RBE No. 25/2020

Clarification/Corrigendum No. 110

No. 2020/E(Sports)/4(1)/1

New Delhi, dated 24.02.2020

The General Managers (P),
All Zonal Railways including
CLW, DLW, ICF, RCF, RWF, Metro Railway/Kolkata,
The CAO(R), DMW/Patiala,
The DG, RDSO/Lucknow.

NFR

Sub: Inclusion of Officers promoted on the basis of Sports achievements in Trial Committee.

Ref: 1. Board's letter No. 2010/E(Sports)/4(1)/1(Policy) dt. 31.12.2010.

2. Board's letter No. 2011/E(Sports)/4(1)/1/Policy clarifications dt. 27.01.2011.

Attention is invited to para 8.1.6, 8.1.7, 8.2.11.1 & 8.2.11.2 of Board's letter dated 31.12.2010 as amended by Board's letter dated 27.01.2011, laying down the constitution of Trial Committees for recruitment of sportspersons through Talent Scouting and through Open Advertisement.

The matter has been reviewed by the Board and the following changes have been made:

Para No.	Existing para	Revised as
8.1.6(iv) & 8.2.11.1(iii)	Assistant Sports Officer/Sports officer (as per clarification/corrigendum No. 4 dated 27.01.2011)	Assistant Sports Officer/Sports Officer/Officers who have been promoted on the basis of sports achievement.
8.1.7 & 8.2.11.2	Assistant Sports officer/Sports officer in the Trial committee should be from the approved panel of Railway Board. (as per policy dated 31.12.2010)	Assistant Sports officer/Sports officer/officers who have been promoted on the basis of sports achievement in the Trial committee should be from the approved panel of Railway Board/ Railway Board's order/ promoted as per Railway Board's policy.

This is issued with the approval of Board (MS).


(Bhaskar Roy Choudhury)
Dy. Director /Estt. (Sports)
Railway Board

No. 2020/E(Sports)/4(1)/1

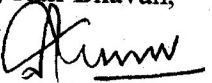
New Delhi, dated 24.02.2020

1. The General Secretary, AIRF, 4, State Entry Road, New Delhi.
2. The General Secretary, NFIR, 3, Chelmsford Road, New Delhi.
3. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employee Association, 7-GF, Ground Floor, Railway Bhavan, New Delhi.

राज्यीय महाप्रबन्धक (कार्मिक)
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर
प्रचारित
संपीठ सं. 08-12
क्रमांक सं. 28/2020
प्र सं. E/254/2/1/पत्र-23/प्र
दिनांक 19.03.2020

Cont:-

4. The General Secretary, All India OBC Railway Employees' Association, Room No.48, Rail Bhavan, New Delhi.


for Secretary
Railway Board

Copy to:

1. The Hony. General Secretaries, Sports Associations of all Zonal Railways/Production Units.
2. PPSs/PSs to CRB; MS; AM(S); Adv.(IR); ED/E(N); ED(E); ED/E(Res.); ED/F(E); EDE(GC); D/E(N); DF(E); JD/E(N); JD/F(E); JD/E(Rep.)-I&II; JD/E(W); DD/E(N)-I&II; DD/E(R)-I&II; DDE(GP); DD/F(E)-I,II&III; and E(Rep.)-I,II&III; E(SCT)-I&II; E(NG)I&II; E(GP); F(E)-I,II,III & F/E(Spl.) Branches in Boards Office.

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. 2020/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/1

नई दिल्ली, दिनांक 24.02.2020

महाप्रबंधक (कार्मिक),

सभी क्षेत्रीय रेलें एवं

चित्ररंजन रेल इंजन कारखाना, डीजल रेल इंजन कारखाना, सवारी डिब्बा कारखाना, रेल कोच फैक्टरी, रेल पहिया कारखाना, मेट्रो रेलवे/कोलकाता, सहित

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर), डीजल आधुनिकीकरण कारखाना/पटियाला,

महानिदेशक, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन/लखनऊ

विषय: खेल-कूद की उपलब्धियों के आधार पर पदोन्नत हुए अधिकारियों को ट्रायल समिति में शामिल करना।

संदर्भ: 1. बोर्ड का दिनांक 31.12.2010 का पत्र सं. 2010/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/1(पॉलिसी)।

2. बोर्ड का दिनांक 27.01.2011 का पत्र सं. 2011/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/1(पॉलिसी स्पष्टीकरण)।

आपका ध्यान बोर्ड के दिनांक 31.12.2010 के पत्र के पैरा 8.1.6, 8.1.7, 8.2.11.1 एवं 8.2.11.2, बोर्ड के दिनांक 27.01.2011 के पत्र के तहत यथा आशोधित की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें टैलेंट स्काउटिंग और खुले बाज़ार के माध्यम से खिलाड़ियों की भर्ती के लिए ट्रायल समितियों का गठन करने का उल्लेख किया गया था।

बोर्ड द्वारा इस मामले की समीक्षा की गई है और इसमें निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं:

पैरा सं.	मौजूदा पैरा	निम्नानुसार संशोधित
8.1.6(iv) एवं 8.2.11.1(iii)	सहायक खेलकूद अधिकारी/ खेलकूद अधिकारी (दिनांक 27.01.2011 के स्पष्टीकरण/ शुद्धिपत्र सं. 4 के अनुसार)	सहायक खेलकूद अधिकारी/ खेलकूद अधिकारी/अधिकारियों, जिन्हें खेलकूद में उनकी उपलब्धियों के आधार पर पदोन्नत किया गया है।
8.1.7 एवं 8.2.11.2	ट्रायल समिति के सहायक खेलकूद अधिकारी/ खेलकूद अधिकारी रेलवे बोर्ड के अनुमोदित पैनल से होने चाहिए। (दिनांक 31.12.2010 की नीति के अनुसार)।	ट्रायल समिति के सहायक खेलकूद अधिकारी/ खेलकूद अधिकारी/अधिकारियों, जिन्हें खेलकूद में उनकी उपलब्धियों के आधार पर पदोन्नत किया गया है, वे रेलवे बोर्ड के अनुमोदित पैनल/रेलवे बोर्ड के आदेश/रेलवे बोर्ड की नीति के अनुसार पदोन्नत होने चाहिए।

इसे बोर्ड (सदस्य कार्मिक) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(भास्कर राय चौधरी)

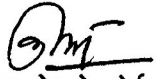
उप निदेशक/स्थापना (खेलकूद)

रेलवे बोर्ड

सं. 2020/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/1

नई दिल्ली, दिनांक 24.02.2020

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
3. जनरल सेक्रेटरी, अखिल भारतीय एससी/एसटी रेलवे कर्मचारी एसोशिएशन, 7-जीएफ, ग्राउंड फ्लोर, रेल भवन, नई दिल्ली।
4. जनरल सेक्रेटरी, अखिल भारतीय ओबीसी रेलवे कर्मचारी एसोशिएशन, कमरा नं.48, रेल भवन, नई दिल्ली।

नवीन 
कृते सचिव, रेलवे बोर्ड